मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–193/2023

1. इकबाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जगतार सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

3. जगदीश सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. चरणजीत कौर पत्नी जगदीश सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. नददीप कौर पुत्री जगदीश सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 28.3.2024

वादी की ओर से श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री विकास शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.3.24 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर ... वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर वाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजरथान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित जगदीश सिंह के नाम से चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यू.बी. जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 2078 के खाता संख्या 43/38 में अंकित 6.072 हैक्टर में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1/2 हिस्सा अर्थात 3.036 हैक्टर का वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 2 आर.डब्लयू.बी. के खाता संख्या 43/38 में से जगदीश सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 28.3.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		
योग	--	योग	--

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner